

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या-214/पांच-9-2023-6(74)/94टी0सी0-1

लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड उत्तर प्रदेश के गठन विषयक शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1679/ पाँच-9-2021-6(74)/94टी0सी0- दिनांक 23-11-2021 को अवक्रमित करते हुए गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 की धारा 16'ए' में विहित प्राविधान के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से यथा संशोधित "स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड उत्तर प्रदेश" का निम्नवत गठन किया जाता है:-

1-	मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।	-अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।	-उपाध्यक्ष
3-	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. शासन।	-सदस्य
4-	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।	-सदस्य
5-	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।	-सदस्य
6-	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	-सदस्य
7-	महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।	-सदस्य
8-	निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।	-सदस्य सचिव
9-	डा0 मंजू शिवाच, मा0 सदस्य, विधान सभा।	-सदस्य
10-	श्रीमती नीलिमा कटियार, मा0 सदस्य, विधान परिषद।	-सदस्य
11-	डा0 प्रजा त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद।	-सदस्य
12-	डा0 सी0एस0 वर्मा, विभागाध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ रिसर्च यूनिट, गिरी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेण्ट स्टडीज, सेक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ।	-सदस्य
13-	प्रो0 (डा0) सी0पी0 सिंह, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	-सदस्य
14-	डा0 संगीता गोयल, उप निदेशक, ममता हेल्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ मदर एण्ड चाइल्ड, 11, कृष्णा कालोनी, महानगर, लखनऊ।	-सदस्य
15-	सुश्री अंचल गुप्ता, विधि परामर्शदाता, एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एण्ड लीगल इनिशियेटिव, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।	-सदस्य
16-	डा0 नीरा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।	-सदस्य

17-	डा० उर्मिला सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।	-सदस्य
18-	प्रो० शैली अवस्थी, विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, के.जी.एम.यू. लखनऊ।	-सदस्य
19-	डा० दीप्ति सक्सेना, मेडिकल जेनेटिस्ट, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।	-सदस्य
20-	डा० सुक्रिति कुमार, रेडियोलॉजिस्ट, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।	-सदस्य
21-	डा० नेहा, एसोसिएट प्रोफेसर (रेडियोडायग्नोसिस), डा० राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ।	-सदस्य

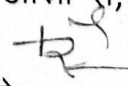
- 2- स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड उत्तर प्रदेश के गठन की शर्तें एवं कार्यकलाप शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-713/पांच-9-08-6(74)/94 टी०सी० दिनांक 25.04.2008 के अनुसार लागू रहेंगी।
- 3- उक्त कार्यालय ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

पार्थ सारथी सेन शर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या-214(1)/पांच-9-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2- बोर्ड के समस्त सदस्यगण।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण, महानिदेशालय 30प्र० लखनऊ को उनके पत्र संख्या प०क०/पी०सी०पी०एन०डी०टी०/938(vol-iii)2022/5952 दिनांक 04.01.2023 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 10- संयुक्त निदेशक (आई०ई०सी०) आई०ई०सी० व्यूरो-4 पण्डित नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।